सं.28/1/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और लद्दाख में सेवारत केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अतिरिक्त मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाना।

इस विभाग के क्रमशः दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं.2/5/2017-ई.II(बी) और दिनांक 19.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत 01.07.2017 से मकान किराए भत्ते/अतिरिक्त मकान किराए भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के उन सभी सिविल कर्मचारियों, जिन्हें 01.07.2017 से पहले या 01.07.2017 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और लद्दाख स्थानांतरित कर दिया गया है और जो 01.07.2017 के बाद से वहीं पर तैनात हैं, को निम्नानुसार **01.07.2017 से पुराने ड्यूटी स्टेशन पर अतिरिक्त मकान किराया भत्ता** प्रदान किया जाए:-

(i) 01.07.2017 से पहले की किसी तारीख से स्थानांतरित और तैनात केन्द्र सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने अपना परिवार पुराने ड्यूटी स्टेशन पर छोड़ा है, पुराने ड्यूटी स्टेशन के मकान किराए भत्ते की गणना **दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2017-ई.II(बी) के अनुसार मकान किराए भत्ते की 01.07.2017 को प्रभावी प्रतिशत दरों पर 01.07.2017 को आहरित पुनरीक्षित वेतन पर की जाएगी।**

(ii) 01.07.2017 को या उसके बाद की किसी तारीख से स्थानांतरित और तैनात केन्द्र सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने अपना परिवार पुराने ड्यूटी स्टेशन पर छोड़ा है, पुराने ड्यूटी स्टेशन के मकान किराए भत्ते की गणना **स्थानांतरण की तारीख को प्रभावी मकान किराए भत्ते की प्रतिशत दरों पर स्थानांतरण की तारीख को आहरित पुनरीक्षित वेतन पर की जाएगी।**

2. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।